(1)

संख्याःपीसीएच–एचबी (15) 2003–पं०चौकीदार–शिमला– 9565-12790
हिमाचल प्रदेश सरकार,
पंचायती राज विभाग ।

सेवा में,

समस्त प्रधान/सचिव, (through B.D.O)
ग्राम पंचायत, हिमाचल प्रदेश।

शिमला–9, दिनांक 9, मई, 2017

विषय :– ग्राम पचांयतों में पचांयत चौकीदारों की नियुक्ति एवं कार्यों से सम्बन्धित दिशा–निर्देश।

महोदय,

उपरोक्त विषय से सम्बन्धित ग्राम पचांयतों में पंचायत चौकीदारों की नियुक्ति एवं कार्यों से सम्बन्धित दिशा–निर्देश इस पत्र के साथ आगामी आवश्यक कार्रवाई हेतु संलग्न है।

संलग्नः उपरोक्त

भवदीय,

R. Selvam

निदेशक,
पंचायती राज विभाग,
हिमाचल प्रदेश शिमला–9

पृष्ठांकन संख्या–उपरोक्त– 12791-880 शिमला– दिनांक, 9, मई, 2017.
प्रतिलिपि प्रेषितः–

1 समस्त जिला पंचायत अधिकारी, हिमाचल प्रदेश को सूचना एंव आवश्यक कार्रवाई हेतु।
2 समस्त मुख्य कार्यकारी अधिकारी एवं खण्ड विकास अधिकारी, हिमाचल प्रदेश को सूचना एवं आवश्यक कार्रवाई हेतु।

R. Selvam 6/5/17
निदेशक,
पचांयती राज विभाग,

पंचायत चौकीदारों की नियुक्ति एवं उनके कार्यों से सम्बन्धित दिशा–निर्देश

पदों की संख्याः

प्रत्येक ग्राम पंचायत में पचायत चौकीदार का एक पद होगा। हिमाचल प्रदेश पंचायती राज अधिनियम 1994 की धारा 135 व हिमाचल प्रदेश पचांयती राज (सामान्य) नियम, 1997 के नियम 137 में वर्णित प्रावधान के दृष्टिगत निदेशक महोदय स्वीकृति प्रदान करने हेतु सक्षम है। यदि किन्ही कारणों से यह पद रिक्त होता है तो उसे पुनः भरने के लिए नियमानुसार निदेशक की स्वीकृति प्राप्त करना आवश्यक होगी।

वेतनः

पचांयत चौकीदार को ऐसी दरों में मानदेय दिया जाएगा जैसी राज्य सरकार द्वारा समय–2 पर अधिसूचित किया जाएगा।

न्यूनतम शैक्षणिक योग्यताः

पचांयत चौकीदार के रूप में नियुक्त किए जाने वाला अभ्यर्थी हिमाचल प्रदेश सरकार द्वारा मान्यता प्राप्त स्कूल से 8वीं पास न्यूनतम शैक्षणिक योग्यता रखता हो।

आयु एवं अन्य पात्रता शर्तेः

पचांयत चौकीदार के रूप में नियुक्त किया जाने व्यक्ति की आयु एवं अन्य पात्रता शर्ते निम्न अनुसार होगीः

क) वर्ष की प्रथम जनवरी को, जिसमें वह पद के लिए आवेदन करता है, 18 से 45 वर्ष की आयु का है। अनुसूचित जातियों/अनुसूचित जन जातियो/अन्य वर्गो के व्यक्तियों के लिए उपरी आयु में उतनी ही छूट दी जाएगी जितनी हिमाचल प्रदेश सरकार के साधरण या विशेष आदेश के अधीन अनुज्ञेय है।

ख) सम्बन्धित पचांयत का स्थाई निवासी हो।

ग) स्वस्थचित और अच्छे स्वास्थ्य का हो।

घ) नैतिक अधमता में अर्न्तवलित किसी अपराध में दोषसिद्व न हुआ हो।

ड) उसने पचांयत की किसी भूमि पर अतिक्रमण न किया हो तथा पंचायत का कोई कर/शुल्क की राशि वसली योग्य न हो।

नियुक्ति पद्धतिः

सम्बन्धित ग्राम पचांयत व्यापक प्रचार करते हुए ग्राम पचांयत के कार्यालय के सूचना पटट पर और ग्राम पचांयत के भीतर पटवारखाना, महिला मण्डल भवन, युवक मण्डल भवन, सामुदायिक केन्द्र, सभी सार्वजनिक स्थानों पर सूचना प्रदर्शित करते हुए आवेदन आमंत्रित करेंगी। आवेदन करने के लिए सूचना की तारीख से पंद्रह दिन की न्यूनतम अवधि दी जाएगी और आवेदन ग्राम पचांयत के पचांयत सचिव/सहायक द्वारा प्राप्त किए जाएगें।

आवेदन आमंत्रित करने के लिए दी गई अवधि के ठीक पश्चात, ग्राम पचांयत साक्षात्कार की तिथि समय व स्थान निर्धारित करेगी तथा पचांयत सचिव/सहायक सम्बन्धित अभ्यर्थियों को निश्चित तिथी समय व स्थान पर साक्षात्कार में वाछित दस्तावेजों सहित उपस्थित होने के लिए सूचित करेंगा।

चौकीदार के पद के चयन हेतु साक्षात्कार समिति के निम्न सदस्य होंगें:

1) प्रधान सम्बन्धित ग्राम पचांयत — अध्यक्ष
3) पंचायत समिति सदस्य सम्बन्धित ग्राम पचांयत — सदस्य
2) उप–प्रधान सम्बन्धित ग्राम पचांयतः — सदस्य
4) पचांयत सचिव/सहायक सम्बन्धित ग्राम पचांयत — सदस्य सचिव

चयन प्रार्थी की शैक्षणिक योग्यता व अन्य दस्तावेजों के आधार पर निम्न मापदण्डों के आधार पर की जायेगी।

	कुल अंक	100
	शैक्षणिक योग्यता	
1	आठवीं पास	75 अंक
	आठवीं पास अभ्यर्थी को आठवी में कुल प्राप्त अंकों की प्रतिशतता को 1.33 से विभाजित करने पर प्राप्त अंक प्रदान किए जाएगें।	
2	दसवी पास	3 अंक
	दसवी पास अभ्यर्थी को दसवीं में प्राप्त कुल अंको की प्रतिशतता को 33.33 से विभाजित करने पर प्राप्त अंक प्रदान किए जाएगें।	
3	10+2 में प्राप्त अंकों की प्रतिशतता को 20 से विभाजित करने पर प्राप्त अंक प्रदान किए जाएगें	5 अंक

4.	10+2 से उपर अभ्यर्थी को कमांक 1, 2 तथा 3 में प्राप्त अंक के इलावा 2 अंक अतिरिक्त प्रदान किए जाएगें	2 अंक
5	भूमि–हिन परिवार / 1 हेक्टेयर से कम ज़मीन वाले परिवारों को संबधित राजस्व प्राधिकरण दवारा प्रमाणित किया जाना चाहिए।	3 अंक
6	गैर–रोजगार प्रमाण पत्र, जिसमें यह प्रमाणित किया गया हो कि परिवार का कोई भी सदस्य सरकारी या गैर सकारी क्षेत्र में सेवारत नहीं है।	3 अंक
7	NSS (कम से कम 1 वर्ष) NCC में प्रमाण पत्र धारक / भारत स्काउट और गाईड,राष्ट्रीय स्तर के खेल प्रतियोगिताओं में पदक विजेता।	2 अंक
8	बीपीएल परिवार जिनकी परिवार की वार्षिका आय (सभी स्रोतों से) 40,000 / –से कम है या जो समय–समय पर सरकार दवारा निर्धारित।	3 अंक
9	अनाथ	1.5 अंक
10	सरकारी या अर्द्ध–सरकारी संगठन में 5 वर्ष का अनुभव, जिस पद के लिए आवेदन किया हो(0.5 अंक प्रत्येक वर्ष पुर्ण करने के लिए)	2.5 अंक

नियुक्त पचांयत चौकीदार पचांयती राज सामान्य नियम 1997 के नियम 137 में अंकित प्रावधानों के तहत 58 वर्ष की अधिवर्षिता आयु पूर्ण करने उपरान्त पचांयत सेवा से सेवा निवृत होगा। पंचायत चौकीदार सम्बन्धित ग्राम पचांयत का अंशकालीन कर्मचारी होगा तथा सम्बन्धित ग्राम पचांयत की देखरेख के अन्तर्गत चौकीदार पर ग्राम पंचायत का पूर्ण नियन्त्रण होगा तथा उसकी सेवाएं संतोषजनक न होने की अवस्था में पचांयत अपनी बैठक में निर्णय लेकर उसके विरूद्ध हि०प० पंचायती राज सामान्य नियम में अंकित प्रावधानों के तहत वांछित कार्रवाई कर सकेगी।

जॉब चार्ट:

पचांयत चौकीदार का जॉब चार्ट ऐसा होगा जो सम्बन्धित ग्राम पचांयत द्वारा समय–2 पर विर्निदिष्ट किया जाएगा। सम्बन्धित ग्राम पचांयत, पंचायत चौकीदार के दैनिक कार्य के लिए उतरदायरी होगी और पचांयत चौकीदार का कार्य समय कम से कम 4 घण्टें का होगा जिसमें उसके आने व जाने की अवधि व उन्हें अवकाश बारे सम्बन्धित ग्राम पचांयत द्वारा निर्धारित की जाएगीं।

अपील:

नियुक्त पंचायत चौकीदार ग्राम पचांयत द्वारा उसके विरूद्ध पारित निर्णय के प्रति हिमाचल प्रदेश पचांयती राज साभान्य नियम, 1997 के नियम 137 (3) में सक्षम प्राधिकारी के सम्मुख 30 दिनों के भीतर अपील दायर कर सकेगा।

****